संख्याः49/2022/1140/87-8(1)अति0ऊ0स्रो0वि0/2022

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ!

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांक 12 अक्टूबर,** 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022"** के अंतर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी/उद्यम की स्थापना करने हेतु इच्छुक निवेशको को जनपदों में कृषि अपशिष्ट (पराली) बाजार मूल्य पर सुगमता से उपलब्ध हो सके इस हेतु नीति के प्रस्तर-2.3 के प्रावधान के अनुसार जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता हैः-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	डिप्टी आर.एम.ओ.	सदस्य
4	उप कृषि निदेशक	सदस्य सचिव
5	जिला पंचायत राज्य अधिकारी	सदस्य
6	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
7	परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा	सदस्य
8	एफ.पी.ओ. संगठन/एग्रीगेटर	सदस्य
9	जैव ऊर्जा उद्यमी	सदस्य

2- आपूर्ति श्रृंखला के विकास हेतु उक्त समिति के निम्नलिखित दायित्व होंगेः-

1. कृषि अपशिष्ट की आपूर्ति श्रृंखला हेतु किसानों, एग्रीगेटर एवं उद्यमी के मध्य समन्वय स्थापित करना।
2. सम्पूर्ण जिले में कृषि अपशिष्ट की उचित दर का आपसी सहमति के आधार पर निर्धारण करना। जिले में कृषि अपशिष्ट का एक ही मूल्य किसानों की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।
3. एग्रीगेटर को कृषि अपशिष्ट के ट्रांसपोर्ट हेतु रेग्यूलेटरी सहयोग प्रदान करना।
4. जैविक खाद के मार्केटिंग हेतु उद्यमी का कृषि विभाग, उद्यान विभाग, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण इत्यादि संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
5. उद्यमी को समस्त रेगुलेटरी क्लीयरेन्स के लिए उत्प्रेरित कराना, जैसे अग्निशमन, लैण्ड सीलिंग, कृषक से अकृषक भूमि कन्वर्जन, सरकारी भूमि की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, पारेषण तन्त्र, विकास प्राधिकरण के डेवलपमेन्ट चार्जेज का वेवर इत्यादि।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा कमाण्ड एरिया का अनुपालन सुनिश्चित कराना ।
7. किसानों के भुगतान की समीक्षा।
8. जैविक खाद, कम्प्रेस्ड बायोगैस, बायो-पेलेट्स हेतु जारी अनुबन्ध का फैसीलिटेशन।
9. एक तहसील में एक से अधिक एग्रीगेटर होने की दशा में आवश्यकतानुसार एक से अधिक एग्रीगेटर को कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु संस्तुति यूपीनेडा को कर सकती है।

3- कृपया उक्तानुसार समिति के सदस्यों को अपने स्तर से सूचित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः49/2022/1140(1)/87-8(1)अति0ऊ0स्रो0वि0/2022 दिनांकः 12 अक्टूबर, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उ०प्र०।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि, खाद्य एवं रसद विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, समस्त डिस्कॉम।
9. क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, एन०टी०पी०सी०, लखनऊ।
10. स्टेट कोआर्डीनेटर, आयल मार्केटिंग कम्पनीज, आई०ओ०सी०एल० मुख्यालय, लखनऊ।
11. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0।
12. निदेशक, कृषि विभाग।
13. निदेशक, पंचायतीराज विभाग।
14. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग।
15. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित मंडलीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
16. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
19. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चौहान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in